

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / २२३२ / 2019 दिनांक 06.11.2019

श्रीमती प्रीति चौधरी (RJ0843), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई (टोंक) को दिनांक 09.10.2019 से 11.10.2019 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 12.10.2019 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्रीमती चौधरी की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई (टोंक) के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से


6.11.19


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/13/2015/ 10470

दिनांक : 6.11.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 7779 दिनांक 17.10.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती प्रीति चौधरी (RJ0843), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई (टोंक) ।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई (टोंक) ।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक ।


6.11.2019

सहायक रजिस्ट्रार